

4287

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**O.A. NO. 127 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

Naathu Ram Chauhan

.....Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways & Ors ...Respondents

**INDEX**

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Submissions by Applicant	1-4
2.	<b><u>Annexure A-1</u></b> The copy of letter dated 01.08.2024 by Applicant which has been forwarded by Additional DC Sirmaur to the concerned departments	5-8
3.	<b><u>Annexure A-2 (colly):</u></b> old photographs procured by Applicant showing use of Gelatin.	9-12
4.	<b><u>Annexure A-3 (colly):</u></b> Recent photographs throwing of muck in the water bodies.	13-18

**Date: 17.10.2024**

**New Delhi**

**FILED BY:-**

*Hasil Jain*

**RAHUL KHURANA & HASIL JAIN  
Advocates**

**Chamber No. 295, Lawyer Chamber Block II  
Delhi High Court, New Delhi**

**M. 9811894060, 7838707338**

**4288****BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI****IN****O.A. NO. 127 OF 2024****IN THE MATTER OF:**

Naathu Ram Chauhan .....Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways &amp; Ors ...Respondents

**Submissions on behalf of the Applicant****Most Respectfully Showeth:**

1. That the Applicant has filed the subject matter Original Application concerning destruction of the hills while upgrading the **Paonta Sahib- Guma section** at **National Highway no. 707** in Himachal Pradesh by the MoEFCC and its contractors.
2. That the Hon'ble Tribunal vide last order dated 24.07.2024 has directed authorities to ensure that the water supply does not remain obstructed. In this regard the Applicant has also sent a letter to the District Commissioner Sirmaur. The copy of letter dated 01.08.2024 by Applicant which has been forwarded by Additional DC Sirmaur to the concerned departments. The copy of the same is annexed as **ANNEXURE A-1**.
3. It is however submitted that the Contractors are still destroying the water resources by throwing muck in water bodies. It is further submitted that the private Respondents used Gelatin as explosive material for cutting of hills and throwing the muck in water bodies.

4289

4. That Some of the old photographs procured by Applicant showing use of Gelatin are annexed as **ANNEXURE A-2** (colly)
5. That recent photographs throwing of muck in the water bodies are being annexed as **ANNEXURE A-3** (colly).

**PRAYER**

It is humbly prayed before the Hon'ble Tribunal to direct the authorities to take immediate steps for restraining the use of Gelatin and prevent throwing of muck in water bodies and for restoring the water bodies. Or pass any other directions in the interest of Environment.

New Delhi

Dated 17.10.2024



Applicant

Through



Counsel

**4290**  
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

OA No. 127 /2024

In the matter of

Naathu ram Chauhan

Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways & Ors

Respondents

I, Naathu ram Chauhan , S/o Meen Singh Chauhan R/o village Pabhar P.O. Jamna Tehsil Kamrau S T, Rangwa Pabhar (246), Sirmaur, Jamna, Himachal Pradesh 173029, presently at delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am the Applicant in the Original Application and well being and acquainted with facts and circumstances of the case and thus competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying submissions and photographs is being placed by my counsel under my instructions and contents thereof have been read over and explained to me in my vernacular which are true and correct to my knowledge, the contents thereof may kindly be read as part and parcel to this affidavit also and not repeated herein.
3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

*Identify the Executant/Deponent who has signed in my presence*

Verification

It is verified at Delhi on 17 th Oct-2024 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

*[Signature]*  
DEPONENT

*[Signature]*  
DEPONENT

(Naathu. Ram. Chauhan)



**ATTESTED**  
*[Signature]*  
**NOTARY PUBLIC**  
Reg. No. ....

**V. PRABHA JAIN**  
ADVOCATE, M. : 9891330538  
Ch. No. - 962, Patiala Court  
New Delhi-110001

4291

अति-आवश्यक

क्रमांक : एस.आर.एम.उपायुक्त-विकास (ओ.ए. न. 127)-2024- 10213  
उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन {हि0प्र0}।

दिनांक नाहन, 06 अगस्त 2024

सेवा में,

1. परियोजना निदेशक (MoRTH)  
पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर।
2. उप-मण्डलाधिकारी, (ना)  
पॉवटा साहिब/कफोटा/शिलाई, जिला सिरमौर।
3. पुलिस उप-अधीक्षक, पॉवटा साहिब/शिलाई,  
जिला सिरमौर।
4. वन-मण्डल अधिकारी, श्री रेणुका जी  
जिला सिरमौर।
5. अधिशाषी अभियंता, ज0श0वि0/लो0नि0वि0  
शिलाई/पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर।
6. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण  
जिला सिरमौर स्थित नाहन।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर।
8. जिला खनन अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन
9. तहसीलदार,  
पॉवटा साहिब, कमारऊ,शिलाई,जिला सिरमौर।

विषय:- एन.जी.टी के ओ.ए.न0 127/2024 दिनांक 24-07-2024 के सुनवाई बावत बारे प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको इस पत्र के साथ श्री नाथू राम चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता से प्राप्त पत्र दिनांक 01-08-2024 कि छायाप्रति भेजकर अनुरोध है कि उक्त मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.07.2024 को जारी आदेशानुसार (छायाप्रति संलग्न) सम्बन्धित मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट यथाशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न यथोपरि

भवदीय

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
जिला सिरमौर स्थित नाहन।

पृष्ठांकन क्रमांक यथोपरि

दिनांक नाहन, अगस्त 2024

प्रतिलिपि श्री नाथू राम चौहान निवासी ग्राम पभार, तहसील कमारऊ, जिला सिरमौर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
जिला सिरमौर स्थित नाहन।

सेवा में,

4292

उपायुक्त महोदय,  
जिला सिरमौर, नाहन, हि0प्र0।

DC/ADC/ADM/AC/DPD  
Branch.....  
D.No.....  
Date.....

D.H.  
Pl. P. P. P.  
A.P.M. SD on 1/8

विषय:— एन.जी.टी के ओ.ए.न0 127/2024 दिनांक 24.07.2024 के सुनवाई बावत बारे प्रार्थना पत्र।

महोदय जी,

मेरे द्वारा नेशनल हाईवे ग्रीन कोरिडोर 707 के निर्माण कार्य में हुई घोर अनियमितताओं बारे प्रिंसीपल ब्रांच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए.न0 127/2024 में मोर्थ को पार्टी बनाते हुये केस दायर किया था जिसकी सुनवाई 24.07.2024 को माननीय प्रिंसीपल ब्रांच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा मोर्थ और सम्बन्धित कम्पनियों व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि अवैध डम्पिंग द्वारा बर्बाद हुयं लोगों के पीने के पानी के स्रोत कुल, कुएं, बावड़ियां, झरने व नालों में से डाली गई मिट्टी को शीघ्र हटाने का कार्य किया जाये जिससे कि लोगों को शीघ्र अति शीघ्र पीने व सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके, पर बावजूद इसके मोर्थ व सम्बन्धित कम्पनियां लगातार बरसात में भी रोड़ कटिंग का कार्य लगातार चलाये हुये है व मिट्टी को उन्ही नालों में डाला जा रहा है जहां से लोगों के पीने व सिंचाई के जल स्रोतों को श्रति पहुंच रही है। विभागीय अधिकारियों की चुप्पी समझ से परे है एक ओर जहां सरकार बाड़ आपदा से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है वही पर दूसरी ओर अवैध तरीके से मिट्टी को नालों और गहरे खड्डों में डाला जा रहा है जिससे सैकड़ों पानी के स्रोत व हजारों बीघा जमीन के नुकसान के साथ-सथ आने वाले समय में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि सम्बन्धित क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारियों जैसे डी.एस.पी, डी.एफ.ओ, एक्सईएन आई.पी.एच व एक्सईन पी.डब्ल्यू.डी, एस.डी.एम व तहसीलदार सहित तमाम अधिकारियों को अवैध खनन व अवैध डम्पिंग को रोकने हेतु आदेश जारी किये जाये जिससे कि माननीय प्रिंसीपल ब्रांच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन हो सके। ऐसा न होने के सूरत में मुझे मजबूर होकर आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

धन्यवाद सहित।

1-8-2024

भवदीय,

नाथू राम चौहान  
सामाजिक कार्यकर्ता

Item No. 14

4293

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 127/2024

Naathu Ram

Applicant

Versus

Ministry of Road Transport and Highways

Respondent(s)

Date of hearing: 24.07.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain &amp; Mr. Satish Kumar, Advs.

Respondents: Mr. Gigi. C. George, Adv. for R - 1

Ms. Charu Singhal, Adv. for R - 2

Mr. Vaibhav Srivastava, Ms. Rajnandini Kumari & Ms. Vineeta Tiwari,  
Advs. for R - 5Mr. Gaurav Khanna, Mr. Gautam Barnwal, Mr. Rudraksh Pandey & Ms.  
Deepali Bhanot, Advs. for R - 9 (Through VC)

Mr. Ruchir Mishra &amp; Ms. Reba Jena Mishra, Advs. for R - 10

Mr. Anil Kumar Mishra, Mr. Mrinal Bharti, Mr. Santosh Kumar, Mr.

Manish Shekhari & Ms. Sanjana Srivastava, Advs. for R - 14 (Through  
VC)

**ORDER**

1. A report of the Joint Committee in eight volumes has been filed yesterday. Learned counsel for the parties seek time to examine the said report and file response/objection to Joint Committee report and response to the O.A. Since, the report has not come on record therefore, it is not clear, if the said report also relates to Sirmaur.

2. Hence if there is no final report in respect of Sirmaur then the same will be filed within three weeks.

3. Learned Counsel for the applicant has also drawn our attention on Paragraph 2.3.1.3 of the Interim Report of the Joint Committee dated 09.04.2024 wherein it has been recorded as under:

4294

"2.3.1.3 Damage to natural sources of drinking water (rivulets) by filling with debris:

It was observed during spot inspection that villagers use Kuhls to convey water from nearby streams for irrigation. These streams flow downstream the NH 707.

**It is true that many of these streams were found to be obstructed with debris and sediments, leading to damage to the Kuhls and consequently disrupting water supply to the villages (Photographs attached as Annexure-7).**

Indeed, this aspect should have been addressed in the Social Impact Assessment conducted by MoRTH prior to commencing highway construction. However, it appears that the impact of highway construction on these natural water sources was not anticipated during the social impact study.

**Despite conflicting explanations regarding the cause of damage, with the applicant attributing it to contractors' negligence and the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) and its Contractors attributing it to natural landslides, it is imperative that these natural water sources be restored by MoRTH through its contractors without any delay. This is necessary to uphold the basic right to access drinking water for nearby villages.**

*Both the representatives of MoRTH and its Contractors have expressed their willingness to address the issue of damage to the Kuhls and water source in the affected villages."*

4. Hence a prayer at this stage has been made to direct the concerned authorities for restoration of the water supply in the villages. In view of the findings so recorded by the Joint Committee appropriate steps are required to be taken by the concerned authorities to ensure that the water supply to the villager does not remain obstructed.

5. List on 18.10.2024.


Prakash Shrivastava, CP


Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 24, 2024  
O.A. No. No. 127/2024

4295







**Shiri Kyari, Himachal Pradesh, India**  
 National Highway 707 Shukam , post office, Shiri  
 Kyari, Himachal Pradesh 173027, India  
 Lat 30.713229°  
 Long 77.683604°  
 09/06/22 05:08 PM



**Shiri Kyari, Himachal Pradesh, India**  
 National Highway 707 Shukam , post office, Shiri  
 Kyari, Himachal Pradesh 173027, India  
 Lat 30.713191°  
 Long 77.683492°  
 09/06/22 05:06 PM

4298











Oct 3, 2024 17:34:40  
Paonta - Hatkoti Road  
Chauki Mirgwal  
Shimla Division  
Himachal Pradesh

## आदेशों के बाद भी जारी है जल स्रोतों में डंपिंग

नेशनल हाई-वे निर्माण के दौरान मलबे से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों को भी भारी नुकसान

**दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नाहन**



ग्रीन कोरिडोर पांवटा साहिब-गुम्मा एनएच-707 पर अवैध डंपिंग को लेकर लगातार नियमों व आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जिसको लेकर बुधवार को पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ता नाथू राम चौहान ने नाहन में आयोजित प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विगत 24 जुलाई को आदेश जारी किए गए थे।

जिसमें डीसी सिरमौर सहित प्रशासन के तमाम अधिकारियों को अवैध डंपिंग रोकने के लिए कारगर उपाय उठाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि नेशनल हाई-वे

निर्माण के दौरान एनएच के मलबे से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों को भी भारी नुकसान होने से बचे। पर्यावरणविद ने बताया कि हैरत की बात है कि डीसी सिरमौर द्वारा अनुपालना के तहत परियोजना अधिकारी मोर्थ यानि मिनिस्ट्री व सड़क, राजमार्ग द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। वहीं लगातार एनएच के मिट्टी, मलबे को प्राकृतिक जल स्रोतों व अन्य ग्रामीणों की घासनियों इत्यादि में डंप किया जा रहा है।

यही नहीं पर्यावरणविद नाथू राम चौहान ने एनएच निर्माण एरिया में ब्लास्टिंग करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि छह अगस्त को डीसी सिरमौर के उक्त अधिकारियों को पहली दफा आदेश जारी किए। जिसके बाद अब तक तीन बार आदेश जारी कर अवैध डंपिंग को रोकने के लिए कहा गया है, मगर हैरत की बात है

■ ग्रीन कोरिडोर एनएच-707 को लेकर पर्यावरणविद नाथू राम चौहान ने नाहन में किया खुलासा

कि एनएच-707 पर अवैध डंपिंग नहीं रूक रही है। जिससे साफ तौर पर प्रशासन व एनजीटी के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। उक्त आदेशों में परियोजना अधिकारी मोर्थ के अलावा एसडीएम पांवटा, शिलाई व कफोटा, डीएसपी पांवटा साहिब, शिलाई, डीएफओ रेणुकाजी, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीओ डीआरडीए सिरमौर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशाषी अभियंता, जिला खनन अधिकारी सिरमौर, तहसीलदार कमरऊ, पांवटा साहिब को निर्देश पत्र जारी किए गए हैं, ताकि जल स्रोतों के बचाव के लिए डंपिंग को हटाया जाए।

# एनएच निर्माण में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन, मलबे की मनमानी डंपिंग

हाटकोटी-पांवटा साहिब फोरलेन निर्माण के दौरान सामने आ रहे मामले, रिपोर्ट में खुलासा

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब से हाटकोटी तक नेशनल हाईवे-707 के निर्माण के दौरान लगातार एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने इस परियोजना से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर कई बार निर्देश दिए हैं कि मलबे का उचित तरीके से निपटारा किया जाए। साथ ही एनजीटी ने जलस्रोतों से मलबा हटाने के आदेश भी दिए। आरोप है कि इसके बावजूद मलबे को अभी भी पहाड़ों की ढलानों और नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में फेंका जा रहा है, जिससे वहां के पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है।

एनजीटी ने 24 जुलाई की सुनवाई में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मलबे को जंगलों और नदी तटों पर फेंकने पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। इसके बावजूद 18 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई से पहले भी मलबे का उचित निपटारा नहीं



पेयजल स्रोतों में की गई मलबे की अवैध डंपिंग। - संवाद

है। एनजीटी में दी गई रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस मामले में कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए हैं।

हाईवे परियोजना के निर्माण के दौरान उखाड़े गए लाखों पेड़ों और बर्बाद किए गए सैकड़ों जलस्रोतों के कारण इलाके में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। मलबे की डंपिंग के कारण न केवल जंगलों

और नदी के बहाव पर असर पड़ा है, बल्कि आसपास के खेत और बागवानी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। पानी के पारंपरिक स्रोत जैसे कूहलें और नाले, जिन पर स्थानीय लोगों का जीवन निर्भर है, वे भी इस मलबे के चलते बंद हो गए हैं।

स्थानीय निवासी और इस मामले के याचिकाकर्ता नाथू राम का कहना है कि अधिकारियों ने लगातार एनजीटी के आदेशों की अवैध

## 800 पन्नों की रिपोर्ट में हुई है पर्यावरण को नुकसान की पुष्टि

संयुक्त समिति जिसमें एनएचएआई, प्रदेश प्रदूषण बोर्ड, जिला प्रशासन शिमला, जिला प्रशासन सिरमौर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग शामिल हैं कि बनाई गई 800 पन्नों की रिपोर्ट में भी निर्माण कार्य में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद मोरथ, एनएचएआई, वन विभाग और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे नजरअंदाज किया है।

की है। एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और मलबे को लगातार पहाड़ों और नदी तटों में फेंका जा रहा है।

इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है।

HIMACHAL PE

1  
शिमला  
क्रि  
मा  
खि  
औ  
आ  
क्रि  
टी  
प्रि  
जि  
इस  
जा  
औ  
आ  
को  
ती  
फा  
जि  
क्रि  
मि  
के  
रखें  
21  
उप  
ऑ  
ला  
मै  
पुर